ग्राम पंचायत घ्याल, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र•, को सौंपे जाने के दृश्टिगत, ग्राम पंचायत घ्याल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :–

प्रधान :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्रीमति हरतेश ठाकुर	01.04.2014 से 22.01.2016
2	श्री पदम देव शर्मा	23.01.2016 से 31.03.2017

सचिव :–

क्र•	नाम	अवधि
1	श्री सतीश कुमार	01.04.2014 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत घ्याल, विकास खण्ड सदर जिला बिलासपुर के अवधि 04/2014 से 03/2017 के लेखाओ के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र•	पैरा सं•	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	नियम विरूद्ध चार रोकड़ बहियों का प्रयोग	––
2	8	बही खातों का अनुरक्षण न करना	––
3	9	बैंक समाधान विवरणी को तैयार न करना	––
4	10	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	0.029

5	14	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	1.14
6	15	अनुदान की राशि का अवरोधन	29.36
7	16	स्वजल धारा परियोजना के अनुदान की राशि को बिना उपयोग वापिस करना	4.07
8	17	बिना उचित बिलों के किया गया संदिग्ध व्यय	1.91
9	19	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टाक/स्टोर का क्रय करना	2.58
10	28	निर्माण कार्यों के निष्पादन में निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करना	0.04

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत घ्याल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एव वर्तमान अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 03/07/2017 से 14/07/2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2015, 09/2015, 07/2016 व 03/2015, 09/2015, 03/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविश्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत घ्याल, विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेशित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–131 दिनांक 14/07/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि हि. प्र. रा. स. बैंक नम्होल के

मल्टीसिटि चैक संख्या 767327 दिनांक 14—07—2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थिति :—

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिश्ट—1** में भी दिया गया है :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	1350769	3384485	4735254	3628979	1106275
2015—16	1106275	6055702	7161977	5434725	1727252
2016—17	1727252	5379659	7106911	4170621	2936290

टिप्पणीः— ग्राम पंचायत घ्याल द्वारा स्व—स्त्रोत (खाता ''क'') के आय—व्यय के लिए नियमानुसार ही हि. प्र. राज्य सह. बैंक की नम्होल शाखा में बचत खाता 11610102318 अलग से खोलकर तथा इससे सम्बन्धित आय व्यय का लेखांकन खाता ''क व ख'' की संयुक्त रोकड़ बही में ही किया जा रहा है परन्तु इससे सम्बधित लैजर तथा वर्गीकृत सार का अनुरक्षण नहीं किया गया है। इस कारण से पंचायत के स्व—स्त्रोतों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति तैयार नहीं की जा सकी है।

5 बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत घ्याल की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹29,36,290 के अन्तशेश तथा बैंक खातों में जमा राशि से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः—

क्र	**खाता**			**अन्त शेश (₹)**
	रोकड़ बहियों के अनुसार पंचायत निधि का अन्तशेष — (पैरा 4)			**2936290**
बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेशः—				
	विवरण	बैंक	खाता	
1	पंचायत निधि— खाता 'क'	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	2318	50920
2	पंचायत निधि—खाता 'ख'	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	0005	2500435
3	13वां वित्तायोग	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3725	383591
4	इन्दिरा/राजीव/अटल आवास योजना	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3726	1216

5	मनरेगा	हि•प्र•रा•स• बैंक नम्होल	3172	0
6	खाता ''क'' की रोकड़ बही में नकद हस्तगत शेश			2833

बैंक खातों में जमा राशि का कुल योगः 2938995

बैंक समाधान विवरणीः–

	रोकड़ बहियों के अनुसार अन्तशेशः	**2936290**
1	**(+) जमाः–** खाता संख्या 11610100005 से जारी चैक संख्या 782320 दिनांक 27.10.2016 जो कि 31–03–2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गयाः–	**(+)2720**
2	**(–) घटावः–** रु15/– की नकद आय जो कि रोकड़ बही में पृश्ठ 19 पर माह 06/2015 दर्ज तो की गई है परन्तु चूकवश हस्तगत शेश में जमा नहीं की गई हैः–	**(–)15**
	रोकड़ बहियों का संशोधित शेषः	**2938995**
	बैंक खातों अनुसार अन्तशेशः	**2938995**
	अन्तर :–	**शून्य**

6 रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करना तथा दर्ज प्रविष्टियों का सत्यापन न करनाः–

ग्राम पंचायत घ्याल की रोकड वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के निर्माण में अवहेलना की जा रही है। हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) तथा लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज प्रत्येक लेनदेन को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की पूर्ण अनुपालना नहीं की गई है। उपरोक्त नियमों के अनुसार पंचायत सचिव व प्रधान संयुक्त आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं तथा उन प्रविश्टियों को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाना अपेक्षित है परन्तु इसके स्थान पर प्रत्येक पृश्ठ को अन्त में पंचायत प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्य प्रणाली बारे उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 **नियम विरूद्ध एकाधिक रोकड़ बहियों का निर्माण करने बारेः—**

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत पंचायत के समस्त लेनदेन को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किए जाने का प्रावधान है। परन्तु पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान में चार अलग —अलग रोकड़ बहियों का अनुरक्षण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर अनुरक्षित इन चार रोकड़ बहियों बारे उचित स्पश्टीकरण सहित भविश्य के लिए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

8 **लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः—**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है तथा किसी प्रकार के लैजर खातों का अनुरक्षण नहीं किया गया है। प्रत्येक योजना के लिए लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेश के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेश की जानकारी की उपलब्धता है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 **नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करनाः—**

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) तथा रोकड़ बही के लिए इन नियमों में प्रावधित ''प्रारूप—5'' के आरम्भ में दी गई टिप्पणी के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु ग्राम पंचायत घ्याल के लेखाओं की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस अनियमितता के बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

10 **निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः—**

पंचायत की रोकड बहियों की चयनित माह हेतु नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत निधि की सामान्य रोकड़ बही में जनवरी 2015 के पश्चात निरन्तर हस्तगत

राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया है। माह अप्रैल 2015 से तो रोकड़ बही में यह हस्तगत ₹2833 दर्शाई गई है जो कि हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पश्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविश्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविश्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

12 नियमानुसार निवेश न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राश्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इनसे ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पश्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्श निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेश उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए भविश्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविश्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

13 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

14 पंचायत राजस्व की ₹1.14 लाख वसूली हेतु शेष :–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत घ्याल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व की ₹1,14,000 से वसूली हेतु शेष थी।

1. **गृहकर** : पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः अवधि 2014–15 से 2016–17 तक 560 परिवारों के लिए गृहकर की ₹10 प्रति परिवार की दर से निम्नानुसार प्राप्त की जानी अपेक्षित थी।

वर्श	अथशेश	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014–15	11200	5600	16800	0	16800
2015–16	16800	5600	22400	0	22400
2016–17	22400	5600	28000	0	28000

2. **मोबाईल टावर :–** ग्राम पंचायत घ्याल के क्षेत्र में वर्तमान में विभिन्न कम्पनियों के दस मोबाइल टॉवर स्थापित हैं जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:–

क्र	मोबाइल कम्पनी	स्थापना वर्ष	प्रथम वर्श के लिए ₹4000 स्थापना शुल्क तथा आगामी वर्शों के लिए ₹2000 प्रतिवर्श की दर से नवीनीकरण शुल्क की दर से प्राप्य राशि
1	आइडिया टैलीकॉम लि.	22.12.2006	कम्पनी द्वारा शुल्क का पूर्ण भुगतान किया गया है।
2	वोडाफोन लि.	06.01.2008	कम्पनी द्वारा शुल्क का पूर्ण भुगतान किया गया है।
3	भारती इन्फ्राटैल	26.07.2004	कम्पनी द्वारा शुल्क का पूर्ण भुगतान किया गया है।
4	डिसनैट एअरसैल लि.	––	स्थापना वर्श उपलब्ध नहीं है।
5	रिलायंस टैलीकॉम लि.	––	स्थापना वर्श उपलब्ध नहीं है।
6	बी. एस. एन एल.	18.01.2006	24000
7	भारती इन्फ्राटैल	25.05.2007	4000
8	भारती इन्फ्राटैल	15.10.2015	6000
9	टाटा इन्डीकॉम लि.	04.06.2005	26000
10	रिलायंस टैलीकॉम लि.	27.04.2005	26000
प्राप्य शुल्क का कुल योग:–			**86000**

टिप्पणी 1:– हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के कार्यालय पत्र संख्याः पी.सी.एच. (2)8/99 दिनांक 09.11. 2006 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टॉवर से ₹4000 स्थापना शुल्क तथा ₹2000 प्रतिवर्श नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है।

टिप्पणी 2:– पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा स्थापित मोबाइल टॉवरों के लिए दस में से मात्र तीन का ही शुल्क देयानुसार प्राप्त हो रहा है तथा बाकी सात, जिनमें से दो के स्थापना वर्श की जानकारी पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है, के सन्दर्भ में पंचायत द्वारा न तो ₹4000 की दर से कोई स्थापना शुल्क वसूल किया गया है और न ही आज तक ₹2000 प्रतिवर्श की दर से नवीनीकरण शुल्क की वसूली की गई है।

टिप्पणी 3:– उपरोक्त तालिका में क्रमांक 4 व 5 पर वर्णित टॉवरों के स्थापना वर्श का विवरण प्राप्त करने के पश्चात, सातों टॉवर जिनसे शुल्क प्राप्त नहीं हो रहा है, उनसे भी नियमानुसार प्राप्य शुल्क का वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

15 अनुदान ₹29.36 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिश्ट–1** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹29,36,290 की राशि उपयोग हेतु शेश थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

16 स्वजल धारा परियोजना के अनुदान की ₹4.07 लाख को बिना उपयोग वापिस करनाः–

स्वजल धारा परियोजना की रोकड़ बही की नमूना अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पृश्ठ 18 पर दिनांक 12.01.2015 को ₹4,07,000 को परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से बिना उपयोग किए ही जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर को लौटा दिया गया है। इस अनुदान को वापिस किए जाने के सन्दर्भ वस्तुस्थिति स्पश्ट करने वाला कोई पत्राचार/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अनुदान की इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए सम्बन्धित अभिलेख का आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 बिना उचित बिलों के किया गया ₹1.91 लाख का संदिग्ध व्ययः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1 व 2) के अनुसार पंचायत निधियों से किए गए प्रत्येक व्यय हेतु जो वाउचर तैयार किया जाएगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब–वाउचर के रूप में लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत घ्याल के अंकेक्षणावधि के चयनित माह के वाउचरों

की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि रोकड़ बहियों में दर्ज ₹1,91,353 के व्यय के विरूद्ध विक्रेता अथवा आपूर्तीकर्ता के उचित आपूर्ती बिल उपलब्ध नहीं थे जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र•	दिनांक	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बही:–			
1	05.03.2015	24	रेत व बजरी	11550
2	16.03.2015	26	बजरी	11997
3	08.03.2017	30	ईंटें	36000
4	08.03.2017	30	रेत	13000
5	15.03.2017	31	सीमेंट की ढुलाई	13200
6	15.03.2017	31	रेत	13000
	13वां वित्तायोग रोकड़ बही:–			
7	05.03.2015	16	रेत	4998
8	19.03.2015	17	सीमेंट की ढुलाई	4800
9	20.09.2015	23	सीमेंट की ढुलाई	1500
	नरेगा रोकड़ बही:–			
10	13.10.2015	55	रेत व बजरी	39984
11	13.10.2015	55	बोल्डर	9000
12	31.03.2017	41	रेत, बजरी व बोल्डर	32324
	कुल योग:			**191353**

इन प्रकरणों में पंचायत द्वारा एक मुद्रित प्रोफॉर्मा जैसा कि आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा आपूर्तीकर्ता के बिल के साथ विभागीय प्रयोग हेतु आवरण वाउचर (covering voucher proforma) के रूप में प्रयोग किया जाता है, अथवा कम्पयूटर पर टाइप किए अथवा हस्तलिखित बिल/प्रार्थना पत्र पर ही बड़ी बड़ी राशियों का भुगतान करते हुए आपूर्तीकर्ता की रसीद दर्शाई गई है और पंचायत सचिव तथा पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया गया है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों तथा इनके जैसे अन्य प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविश्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

18 निर्माण सामग्री की खरीद उचित बिलों के बिना करनाः–

गत पैरा में दिया गया विवरण मात्र अंकेक्षणावधि के लेखाओं की अंकेक्षण जांच से ही सम्बन्धित है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी देखने में आया था कि पंचायत द्वारा निशपादित निर्माण कार्यों विशेशतः मनरेगा कार्यों के लिए रेत, बजरी, पत्थर, ईंट इत्यादि निर्माण सामग्री की खरीद भी इसी प्रक्रिया के अन्तर्गत बिना उचित बिलों के की गई है। आपूर्तीकर्ता के उचित बिल तथा रसीद के अभाव में यह व्यय भी उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इन प्रकरणों की भी पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन जांच करके वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम उच्चाधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाने के अतिरिक्त भविश्य हेतु इस कार्यप्रणाली को तुरन्त प्रभाव से बन्द करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.58 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹2,57,653 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	दिनांक	रो. ब. पृश्ठ	विवरण	राशि (₹)
	पंचायत निधि खाता 'क व ख' रोकड़ बहीः–			
1	05.03.2015	24	रेत व बजरी	11550
2	16.03.2015	26	बजरी	11997
3	08.03.2017	30	ईंटें	36000
4	08.03.2017	30	रेत	13000
5	15.03.2017	31	सरिया	19800
6	15.03.2017	31	रेत	28000
7	15.03.2017	31	सीमेंट की ढुलाई	13200
8	15.03.2017	31	रेत	13000

13वां वित्तायोग रोकड़ बहीः–

9	05.03.2015	16	रेत	4998
10	19.03.2015	17	सीमेंट की ढुलाई	4800
11	31.03.2015	18	सरिया	20000
	नरेगा रोकड़ बहीः–			
12	13.10.2015	55	रेत व बजरी	39984
13	13.10.2015	55	बोल्डर	9000
14	31.03.2017	41	रेत, बजरी व बोल्डर	32324
	कुल योगः			**257653**

उपरोक्त विवरण मात्र चयनित माह से सम्बन्धित है तथा इसके अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय उपरोक्त सन्दर्भित नियमों के अनुसार न करने के कारणों को स्पश्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेश प्रशासनिक स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविश्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 **रसीद बुकों का स्टॉक नियमानुसार न रखा जानाः–** रसीद बुकों के स्टॉक की नमूना जांच में पाया गया कि इसे हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के प्रावधानों के अनुसार नहीं रखा जा रहा है। इस नियम के अन्तर्गत रसीद बुकों के अभिलेखन के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः–

1. इस नियम के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त खाली रसीद बुकों का अभिलेखन सामान्य स्टॉक रजिस्टर से अलग हि•प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में प्रावधित फॉर्म–2 में रसीदों के स्टॉक रजिस्टर में रखा जाएगा।

2. खाली रसीद बुकें सचिव की निजि अभिरक्षा में अलमारी में ताला लगा कर रखी जाएगी।

3. नई रसीद बुक को आरम्भ करने से पूर्व प्रधान द्वारा उसमें पाई गई खाली रसीदों को प्रमाणपत्र सहित सत्यापित किया जाएगा।

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि वह जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत/जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी

करने का अभिलेख प्रारूप ''4'' के अनुसार बनाए गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत घ्याल में इस सन्दर्भ में ऐसा कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण से अंकेक्षणावधि के दौरान खरीदी गई तथा प्रयोग की गई रसीदों का न तो संकलित विवरण तैयार किया जा सका है तथा न ही उसकी अंकेक्षण जांच सम्भव हो पाई है। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यपूर्ण स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त इस अवधि के दौरान खरीदी गई रसीदों का अभिलेख जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके इनके प्रयोग का विवरण तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 दिनांक रहित रसीदें जारी करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बहुत सी प्राप्तियों के लिए जारी रसीदों पर जारी करने की दिनांक दर्ज नहीं की गई है। जो कि नियमविरूद्ध होने के अतिरिक्त निधियों का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22 प्राप्त अनुदान के लिए रसीदें जारी न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप–3 में रसीद जारी करनी आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखओं की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों विशेशतः आर• टी• जी• एस•/ऑलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पश्ट करते हुए भविश्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 जारी प्रमाणपत्रों के शुल्क की वसूली न करना तथा सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण/संकलन न करनाः–

पंचायत कार्यालय विवाह, जन्म व मृत्यु, परिवार, राशन कार्ड इत्यादि के लिए पंजीकरण कार्यालय के रूप में भी कार्य करता है तथा हि•प्र• पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 100 के प्रावधानों के अनुसार इनके पंजीकरण के समय पंजीकरण शुल्क तथा सम्बन्धित प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रमाणपत्र शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है जो कि पंचायत की आय का एक प्रमुख स्त्रोत है। पंचायत अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र रजिस्टर का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु उसमें शुल्क वसूली रसीद को सन्दर्भित नहीं किया गया है अतः इस बारे में उचित

स्पश्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविश्य हेतु सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 वाउचर नम्बरों का न लगाया जानाः–

वाउचर फाइलों की जांच में पाया गया कि व्यय वाउचरों में वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए हैं। यह हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के प्रावधानों की स्पश्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस लापरवाही तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से वस्तुस्थिति स्पश्ट करने के अतिरिक्त भविश्य हेतु नियमानुसार वाउचर क्रमांक का लगाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

25 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का अनुरक्षरण न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्श के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत घ्याल में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है अथवा अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

26 मस्ट्रौल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार जिला पंचायत अधिकारी द्वारा मुद्रित तथा प्रमाणित मस्ट्रौल ही पंचायत सचिव द्वारा सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी को किसी विकास/निर्माण कार्य में मजदूरों की हाज़िरी लगाने के लिए ''मस्ट्रौल जारी करने के रजिस्टर'' में प्रविश्टि के उपरान्त जारी किए जाएंगे। इन्ही नियमों में प्रावधित है कि इन मस्ट्रौल का अभिलेखन व अनुरक्षण हि• प्र• लोक निर्माण विभाग की कार्यपद्धति के आधार पर किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत घ्याल द्वारा प्रयोग तथा भुगतान किए गए मस्ट्रौलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियमों की अनुपालना आंशिक रूप में ही की गई है तथा मुख्य रूप से इन मस्ट्रौलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1. श्रम कानूनों के अन्तर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक श्रमिक को छः दिन लगातार काम करने के पश्चात सातवें दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) दिया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत घ्याल में इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा मनरेगा परियोजना

के अन्तर्गत करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए जारी मस्ट्रौलों में मजदूरों द्वारा लगातार छः दिन से अधिक कार्य किए जाने के बावजूद भी उन्हें सवैतनिक अवकाश नहीं दिया गया है जो कि उपरोक्त नियमों की स्पश्ट अवहेलना है।

2. मस्ट्रौल के भाग–3 जिसमें मजदूरों द्वारा किए गए कार्य का विस्तृत विवरण दर्ज किया जाता है को पंचायत द्वारा खाली रखा गया है जिस कारण मस्ट्रौल में किए गए कार्य तथा उसके विरूद्ध किए गए भुगतान को तकनीकी प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

3. प्रयोग किए गए मस्ट्रौलों में मात्र कार्य का शीर्शक दर्ज किया गया है। मस्ट्रौल पर रखे गए मज़दूरों से सम्बन्धित विकास/निर्माण कार्य में क्या अथवा किस प्रकार का काम करवाया गया है का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कॉलम में दर्ज नहीं किया गया है।

4. मस्ट्रौल को कनिश्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा न तो किए गए कार्य के लिए तकनीकी आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है जिस कारण से भुगतान की गई राशि को किए गए कार्य को प्रमात्रा के आधार पर सत्यापित नहीं किया जा सका।

5. मस्ट्रौल में एक–दो को छोड़कर लगभग सभी प्रावधित कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं।

6. मस्ट्रौल जारी करने के राजिस्टर का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इसमें भुगतान राशियों का ब्यौरा दर्ज नहीं है।

इस प्रकार से प्रावधित नियमों की अवहेलना तथा अनियमित भुगतान करना एक अति गम्भीर अनियमितता है जिसके बारे में तथ्यपूर्ण स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसे सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक तथा पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा परियोजना से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का निरन्तर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. **अधूरे रोजगार कार्डः–** रोजगार कार्ड अधूरे पाए गए हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविश्टियां नहीं की गई हैं।

2. संलग्न **परिशिश्ट '2'** पर दर्ज टिप्पणी के अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत मांगे गए रोजगार आवेदनों का सम्पूर्ण अभिलेख पंचायत द्वारा नहीं रखा गया है। यह अभिलेख मनरेगा अधिनियम के अधीन तथा योजना के अन्तर्गत किए जा रहे व्यय में पारदर्शिता हेतु रखा जाना अति आवश्यक है। परन्तु इस मूल अभिलेख के अभाव में अंकेक्षणावधि के तीन वर्शों के दौरान किया गया ₹96,46,816 का समस्त व्यय तथा **परिशिश्ट "2"** के अनुसार 53165 दिनों के लिए दिए गए रोजगार की सारी प्रक्रिया संशयपूर्ण हो जाती है।

3. **सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः–** हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का पूर्ण अनुरक्षण करने के स्थान पर मात्र मनरेगा योजना के अन्तर्गत करवाए गए कार्यों का ही आधा अधूरा अभिलेखन किया गया है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

28 निर्माण कार्यों के निष्पादन में ₹0.04 लाख के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत करनाः–

अंकेक्षणावधि के दौरान निश्पादित निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच के दौरान अलग अलग निर्माण कार्यों के बिलों की माप पुस्तिकाओं की अंकेक्षण जांच के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार ₹3,887 के मूल्य की निर्माण सामग्री की मानक प्रमात्रा से अधिक खपत तथा भुगतान किया गया हैः–

कार्य का नामः– बालक राम निवासी घ्याल के लिए वर्शा जल सग्रहण टैंक का निर्माण

मापन पुस्तिका क्रमांकः– 6802, पृश्ठ 55, 70 व 89 तथा मापन पुस्तिकाः– 8223 पृश्ठ 10, 34 व 66

पूर्णता दिनांकः– उपलब्ध नहीं।

मद का नाम	निश्पादित		मानक प्रमात्रा	
	मात्रा	सीमेन्ट (बोरी)	रेत	बजरी
1:4:8 सीमेंट कंक्रीट	2.70 मी^{3}	9.18	1.27	2.40
1:1.5:3 सीमेंट कंक्रीट	1.83 मी^{3}	14.64	0.82	1.65
1:4 आर. आर. मैसनरी	12.09 मी^{3}	27.57	3.89	––
मानक प्रमात्रा अनुसार खपत		51.39	5.98	4.05
वास्तविक खपतः–		55	7.20	3.50
अधिक खपतः–		3.61	1.22	0.55
लागत मूल्य दर (₹)		260	1666	1666
अधिक भुगतानः–		**938.60**	**2032.52**	**916.30**
इस कार्य में कुल अधिक भुगतानः 938.60+2032.52+916.30				**3887.42**

उपरोक्त प्रकरण की जांच करके तथ्यपरक वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए अथवा उचित स्त्रोत से अधिक किए गए भुगतान/खपत की प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

29 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

ग्राम पंचायत घ्याल के लेखाओं की वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों तथा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अन्य अभिलेख की अंकेक्षण जांच उपरान्त निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निश्पादन करने हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी/संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निश्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **''परिशिश्ट – ई''** में दिए गए ''अनुबन्ध'' प्रारूप के अनुसार अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेश के निश्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निश्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है।

2. इन बिलों में किए गए कार्य की प्रमात्रा तथा खरीदी गई सामग्री का सत्यापन तकनीकी सहायक अथवा किसी भी अन्य जिम्मेदार पंचायत पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण किए गए भुगतान की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। इस

बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा निश्पादित कार्यों में कनिश्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा किए गए कार्य का तकनीकी विवरण भी दर्ज नहीं किया गया है।

3. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 103(4) की अनुपालना में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कोई भी लेखे तथा अभिलेख हि• प्र• लोक निर्माण विभाग के लेखों के आधार पर तैयार नहीं किए गए हैं जिस कारण पंचायत द्वारा किए अथवा करवाए गए निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आई हैं। इस बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4. तकनीकी सहायक द्वारा किसी भी निर्माण कार्य की पूर्णता की दिनांक तथा पूर्णता सम्बन्धी प्रमाणपत्र न तो मापन पुस्तिका में तथा न ही निर्माण कार्यों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं। अभिलेख का यह अधूरा अनुरक्षण न केवल कार्यशैली में उदासीनता को प्रकट करता है बल्कि नियमविरूद्ध होने के कारण अनियमित भी है।

5. हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) तथा 105 में पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों के अनुसार किए गए कार्यों की जांच सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिश्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में ऐसी किसी भी जांच के प्रमाण अथवा प्रमाणपत्र नहीं पाए गए हैं। यह स्पश्टतयः सिद्ध करता है कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों सम्बन्धी प्रतिपादित नियमों की अवहेलना की जा रही है तथा इस कार्यप्रणाली में संदिग्धता दिखाई देती है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना के सन्दर्भ में तथ्यपूरक स्पश्टीकरण सहित वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए। इसके अतिरिक्त अब तक इस प्रकार से नियमविरूद्ध किए गए अनियमित निर्माण कार्यों को सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविश्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए।

30 क्रय की गई सामग्री के लेखांकन हेतु स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 8 के नियम 66 से 73 तक में पंचायत द्वारा खरीदे गए सामान के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों तथा सरकार द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए सामान का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) मदों के रूप में

अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तीकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डार रजिस्टरों में लिखा जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत घ्याल द्वारा स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण तो किया गया है परन्तु इनमें उपरोक्त नियमानुसार पूर्ण जानकारी दर्ज नहीं की गई है। स्थाई सामग्री के स्टॉक रजिस्टर में भी वस्तु के मूल्य, आपूर्तीकर्ता तथा उसके बिल व वारँटी इत्यादि को दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्माण कार्यों के निश्पादन हेतु खरीदी गई सामग्री का लेखांकन करते समय हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अध्याय 11 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त कार्य विशेश के लिए खरीदी गई समस्त सामग्री को आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जारी करने के स्थान पर एक ही बार में अनियमित रूप से जारी कर दिया जाता है। अतः इस बारे में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करके इसका नियमतीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा भविश्य हेतु तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई स्टॉक रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए समस्त सामान की प्रविष्टियाँ नियमानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि प्रत्येक मद के सन्दर्भ में पंचायत के पास उपलब्ध मात्रा तथा शेश सम्बन्धी ब्यौरा हमेशा उपलब्ध हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

31 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पश्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

32 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि• प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	––	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	––	––

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविश्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 पंचायत पदाधिकारियों को देय मानदेय के सम्पूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत के इस फीस के भुगतान के बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी विवरण के बिना ही कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में मानदेय रजिस्टर में मात्र भुगतान की प्रविश्टियां ही दर्ज की जाती हैं। अतः इस अधूरे अभिलेख के बारे में उचित स्पश्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविश्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

34 **लघु आपति विवरणिका :—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

35 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेश रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं का रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
0177—2620046

पृश्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(12)25 / 2017—खण्ड—1—7232—7235 दिनांक19.12.2017 शिमला—171009

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेशित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेशित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सदर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत घ्याल विकास खण्ड सदर, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेशित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
0177—2620046